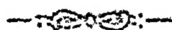


श्रावक के बारह-व्रत



सम्यक्त्व का स्वरूप।

तत्त्व (वस्तु) का जैसा स्वरूप है उसको उसी प्रकार जान कर श्रद्धा करना सम्यक्त्व है। मुख्य तत्त्व तीन हैं:—देव, गुरु और धर्म।

देवतत्त्व—कर्मशत्रु को हनने वाले, अठारह दोष रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक-अरिहन्त और अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान देव हैं।

गुरुतत्त्व—निर्ग्रन्थ (परिग्रह रहित) कनक कामिनी के त्यागी पंच महाव्रत के धारक, षटकाय जीवों के रक्षक, सत्ताईस गुणों से भूषित, वीतराग की आज्ञानुसार चलने वाले साधु, गुरु हैं।

धर्मतत्त्व—सर्वज्ञभाषित, दयामय, विनयमूलक, जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व तथा आत्मा और कर्म का भेदज्ञान करने वाला, मोक्ष तत्त्व का प्ररूपक—शास्त्र, [illegible] है।

प्रतिज्ञा

ऊपर लिखे अनुसार मैं देव गुरु और धर्म की श्रद्धा (प्र करूँगा। इनके सिवा किसी दूसरे कुगुरु और कुधर्म को मो साधक व सच्चा नहीं मानूँगा।

आगार

कदाचित् राजा के आग्रह से, ज्ञाति के बलात्कार से, के प्रकोप से, माता पिता, आदि कुटुम्ब की तथा गुरु की पालन निमित्त दुष्काल (विपत्ति पड़ने पर अथवा अटवी भटके निर्वाह निमित्त कुदेव कुगुरु कुधर्म का दान-मान दे तो मेरे आगार है इनके सिवा किसी विशेष अवसर पर दुःख की रक्षा निमित्त संघ का कष्ट दूर करने निमित्त, धर्म की के लिए और लोक व्यवहार से कुदेव आदि का सम्मान क तो इनका भी मेरे आगार है।

नियम

देवाराधना—सुख शान्ति में नित्य प्रति नमोकार मन्त्र व ( ) या आनुपूर्वी गिनूँगा अथवा पांच पदों की करूँगा—अर्थात देवस्तुति करता रहूँगा।

१. आगार—इन कारणों से नियम भंग नहीं होगा।

गुरुआराधना— जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस क्षेत्र में विराजमान साधु साध्वी का प्रतिदिन दर्शन करूंगा। यदि किसी विशेष कारण से दर्शन नहीं कर सका तो किसी ? विगय आदि का त्याग करूँगा या किसी दूसरे नियम का पालन करूंगा शास्त्रानुसार गुरु भक्ति करता रहूंगा।

धर्मआराधना— केवली भाषित, अहिंसा स्वरूप, दयामय धर्म को धर्म मानूंगा, और जिसमें हिंसा होती है उसे धर्म नहीं मानूंगा। देवी देवता, तीन सौ तिरसठ पाखंडी, कुदर्शनी, पासत्थ को वंदना आदर-सत्कार रुपया पैसा आदि धर्म निमित्त नहीं दूंगा. यदि लोक व्यवहार से देना पड़े तो उसे धर्म नहीं समझूंगा। बन सकेगा जहाँ तक थोड़ा या बहुत जिनवाणी का पठन-मनन या श्रवण करूंगा। नवतत्व चार निक्षेप, चार प्रमाण सातनय सप्तभंग तथा जिन भाषित शास्त्रों का यथाविधि स्वाध्याय करने का प्रयत्न करूंगा. प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों द्वारा तथा नयों द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूंगा।

इस प्रकार मिथ्यात्व त्याग कर सम्यक गुरु श्री ———————————————— महाराज के समीप सम्यक्त्व ग्रहण करता हूं।

---

१ दुग्ध-घृत-नवनीत (मक्खन) तेल-गुड़ादि पदार्थों का परित्याग करना

आदि भिनभिनाने लगते हैं तथा गन्दगी फैलती है, जो रोगोत्पत्ति का कारण बन जाती है।

८ झाड़ू बुहारी कठोर नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि इससे कोमल जीव मर जाते हैं।

९ मोरी गटर आदि में टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सम्मूर्छन जीवों की हिंसा होती है, और गन्द वायु से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

१० खाने पीने की वस्तुएं रसचलित हो गई हों, गन्ध वर्ण बदल गया हो वस्तु में लार पड़ गई हो, कालिमा नीलीया फूलन आ गई हो इत्यादि विकृत चीजों को खाने पीने के काम में न लाना चाहिए।

११ तालाब नदी कुए आदि में कूद कर या अन्दर घुस कर बिना छने पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर की गर्मी और पसीने से तथा शरीर के आघात से बहुत से जलचर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

१२ दीपक को खुला नहीं रखना चाहिए, जीवों की रक्षा के लिए ढका रहना चाहिए और उसको असावधानी से न जलाना चाहिए।

१३ अपने वृद्ध पशुओं को अनाथ नहीं फिरने देना चाहिए, क्योंकि इन पशुओं ने बहुत वर्ष तुम्हारी सेवा की है, इसलिए वृद्ध माता की तरह पालन करने योग्य हैं। इनको कसाई के हाथ नहीं बेचना चाहिए तथा ऐसी जगह पर भी नहीं बेचना चाहिए, जहां ये कष्ट पावें।

१४ मेले, विवाहादि अवसर पर इक्का, गाड़ी आदि को शर्त बद कर नहीं दौड़ाना चाहिए, ऐसा करने से घोड़े बैल आदि के प्राण चले जाते हैं तथा मार्ग में कुत्ते, बालक आदि दब कर मर जाते हैं।

१५ जिन वस्तुओं के निमित्त से पंचेन्द्रिय जीवों का घात होता है ऐसी वस्तुओं, पंख वाली पोशाकों, कचकड़ा की चीजों हाथी दांत वगैरह की वस्तुओं को काम में नही लाना चाहिए, क्योंकि इनसे हिंसा को उत्तेजना मिलती है।

१६ बिरादरी आदि के जीमन में एक थाल में अनेक को मिलकर भोजन नहीं करना चाहिए और जूठा नहीं डालना चाहिए।

१७ रात्रि को भ्रमण न करना चाहिए क्योंकि—ऐसा करने से जीव हिंसा और व्यभिचार की संज्ञा बढ़ जाती है।

१८ हिंसक जाति को बछड़ा पाड़ा आदि पशु नहीं देने चाहिए।

१९ मृतक की राख और हड्डी (फूल) को नदी तालाब आदि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राख हड्डी के खार से जल में के त्रस जीव भी मर जाते हैं।

२० जिससे किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, ऐसे किसी भी जहरीले पागल आदि जानवरों को श्रावक न मारे न मरावे और न मारने वाले को भला जाने। यदि किसी की प्राणरक्षा के निमित्त उन्हें पकड़ कर या पकड़वा कर, पींजरे में या शून्य घर में या एकान्त स्थान में छोड़ना या छुड़वाना पड़े तो दूसरी बात है।

आगार

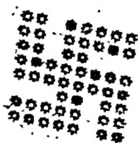
१ किसी जीव का प्राण बचाने के लिए अथवा किसी अपरा
क्रूर मनुष्य को शिक्षा दिलाने के लिए यदि कोई झूठ बोलना
पड़े तो इसका मेरे आगार है।

२ हास्य भय क्रोध आदि परिणाम से राजा की आज्ञा
अचानक बिना विचारे बोलने बेहोशी से यदि मुझसे असत्य
बोला जावे तो मेरे आगार है।

अतिचार (दोष)

१ बिना विचारे किसी को आघात पहुंचे, ऐसा वचन बोलना।
२ किसी की गुप्त बात प्रकट करना।
३ किसी स्त्री पुरुष का मार्मिक भेद प्रकाशित करना।
४ किसी को जान बूझ कर झूठा उपदेश देना, खोटी सलाह देना
५ झूठा लेख खत पत्रादि लिखना।

ये सत्याणुव्रत के पांच अतिचार हैं, इनको जान कर त्यागना चाहिए।



शिक्षा



१ जिस बात का पक्का प्रमाण न हो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये।
२ युक्त अयुक्त का विचार किये बिना नहीं बोलना चाहिये।
३ विशेष कारण बिना ऐसा कटु वचन नहीं बोलना चाहिये जिससे दूसरे के साथ बिगाड़ हो।
४ अपनी शक्ति का विचार न करके लम्बी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिये।
५ इतना ही बोलना चाहिये, जिसका पालन कर सकें अधिक बोलने से प्रतिष्ठा घटती है तथा लोगों का विश्वास उस पर नहीं रहता है।
६ किसी को नुकसान पहुंचे, फजीता हो विरोध बढ़े ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये।
७ कोई सलाह लेने आवे उसको खोटी सलाह नहीं देनी चाहिये, क्योंकि इसे विश्वासघात कहते हैं और विश्वासघात महा-पाप है।
८ भले बुरे का विचार किये बिना दूसरे को प्रसन्न करने के लिये मृदुभाषी नहीं बनना चाहिये।
९ किसी को कुमार्ग से रोकने के लिये हितकामना से बोले गये कटु वचन परिणाम में सुखदायी होने से यद्यपि निर्दोष हैं, तथापि दूसरे को अग्राह्य होने से मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है।

१० किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसी का दोष प्रकट हो तो उसको प्रेम पूर्वक समझा कर दोष दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु दुर्विचार से उसके पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करना चाहिये।

११ धर्मस्थान में या धर्मक्रिया करते समय विकथा नहीं करनी चाहिये।

१२ धार्मिक कार्यों में छल कपट सहित नहीं बोलना चाहिये।

१३ सभा में पंचायती में अथवा अपरिचित मनुष्य के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।

१४ स्त्रियों को पुरुषों के साथ और पुरुषों को स्त्रियों के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।

१५ किसी के साथ हँसी दिल्लगी का सम्बन्ध हो उसको भी घटाना चाहिये, क्योंकि हँसी मजाक से कभी २ क्लेश हो जाता है, अथवा प्रेम द्वेष का रूप धारण कर लेता है।

१६ जहाँ तक बन सके कम बोलने की आदत डालनी चाहिये, हित मित सत्य और प्रियवचन बोलने का अभ्यास करना

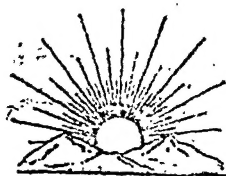
१७ निम्नोक्त मुख्य १४ कारणों से झूठ बोला जाता है—१ क्रोध २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ राग, ६ द्वेष, ७ हास्य, ८ भय ९ लज्जा, १० क्रीड़ा, ११ हर्ष, १२ शोक, १३ चतुराई और १४ बहुत बोलना।

१८ झूठ से अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता, एक झूठ से सब सद्गुण ढंक जाते हैं, एक झूठी बात को सिद्ध करने के लिये के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठे को लोग पापी, लबार, लुच्चा ठग, धूर्त इत्यादि

नामों से पुकारते हैं। झूठ से कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है और परभव में गूंगा बावला कटुभाषी तोतला दुर्गन्ध मुख वाला और एकेन्द्रिय आदि होता है, ऐसा समझ कर झूठ का त्याग करना चाहिए।

१६ यदि स्त्री कोई गुप्त बात अपने पति से कहे तो पति को चाहिये कि उसे प्रकाशित न करे, क्योंकि कभी-कभी गुप्त बात के प्रकाशित हो जाने पर स्त्री आत्म हत्या तक कर लेती है।

२० प्रथम तो कोई गुप्त बात स्त्री को कहनी ही नहीं चाहिए यदि किसी खास कारण से कोई गुप्त बात स्त्री को कह दे तो स्त्री को चाहिए कि उसको प्रकाशित न करे, क्योंकि कोई-कोई बात ऐसी होती है कि जिसके प्रकाशित हो जाने से पति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसी तरह मित्र को भी चाहिए कि मित्र की कोई गुप्त बात प्रगट न करें।



तीसरे स्थूल अदत्तादान (चोरी) का त्याग



द्रव्य से—मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा और न करवाऊंगा, जिससे राज दण्ड या पंचों से अपमान हो।

क्षेत्र से—मैं मर्यादित क्षेत्र की वस्तु को स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करूंगा और न करवाऊंगा, जिससे राजा द्वारा दण्ड या पंचों द्वारा दण्ड प्राप्त हो। मर्यादा से बाहर समस्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।

काल से—मैं जीवनपर्यन्त उक्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।

भाव से—मैं मन वचन काय से उक्त प्रकार की चोरी न करूंगा और न करवाऊंगा। इसके मुख्य निम्नोक्त पाँच भेद हैं—

१ किसी के मकान में खात (सेंध) लगा कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई वस्तु लेना।

२ गांठ खोल कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई चीज लेना।

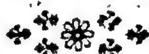
३ ताले पर कुँजी लगा कर अथवा ताला तोड़ कर बिना आज्ञा किसी की वस्तु लेना।

४ मार्ग में चलते हुए को लूटना।

५ कोई गिरी पड़ी वस्तु जिसका मालिक है, उसकी बिना आज्ञा ग्रहण करना इत्यादि।

नियम

१ मैं नकली चीज को असली कह कर नहीं बेचूंगा।
२ मैं रेल का टिकट और माल का किराया नहीं छिपाऊंगा।
३ मैं डण्डी मार कर कम नहीं तोलूंगा और गज आदि को खिसका कर कम नहीं नापूंगा। अर्थात हर एक प्रकार के व्यापार में छल पूर्वक क्रियाएँ नहीं करूंगा।



आगार

१ किसी सम्बन्धी मित्र या अपने पर विश्वास रखने वाले का घर उसके पीछे खोल कर कोई चीज लेनी पड़े तो इसका मेरे आगार है, किन्तु उसकी सूचना उसे तत्काल दूंगा।

२ कम मूल्य वाली कागज कलम सुपारी औषधि आदि वस्तु जिसका लेना व्यवहार में चोरी नहीं समझा जाता है, स्वामी की आज्ञा बिना लेना पड़े तो इसका मेरे आगार है।

३ मार्ग में गिरी भूली-भटकी वस्तु जिसके मालिक का निश्चय नहीं है, उसको रखने का आगार है। यदि अधिक मूल्य की वस्तु होगी तो उसका कुछ भाग परमार्थ में लगाऊंगा।

४ गड़ा पडा धन यदि हाथ लगे तो राज्य के कानून अनुसार करूंगा जिस पर राजा का हक्क नहीं पहुंचता है, उस धन का कुछ भाग परमार्थ कार्य में लगा कर शेष धन रहने का आगार है।

अतिचार (दोष)

१ चोरी की चीज स्वयं खरीदना और दूसरे से खरीदवाना।
२ चोर को चोरी करने में सहायता देना और दिलाना।
३ राज विरुद्ध बड़ा कार्य व अपराध करना और करवाना।
४ तोलने के बाँट और नापने के गज वगैरह हीनाधिक रखना और रखवाना।
५ अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाना और मिलवाना, अथवा दिखाई हुई वस्तु को न देकर दूसरी वस्तु देना या दिलाना।

ये अदत्तादान के पाँच अतिचार हैं, इनको जानकर त्याग करना चाहिये।

सं०
मिति }
ह० त्यागकर्त्ता

नोट:- जिसको कुछ त्याग व नियम में हीनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

शिक्षा

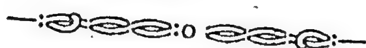


१. चोरी दो तरह से होती है, एक तो चोर की भांति मालिक की अनुपस्थिति में अथवा मालिक को मालूम न हो सके इस तरह रात्रि आदि के समय खात लगाकर या ताला तोड़ कर चोरी की जाती है। दूसरी साहूकारी ढंग से चोरी की जाती है, जो मालिक के समक्ष में जुल्म से अथवा ठगाई से की जाती है। जो जुल्म से होती है उसको दिन दहाड़े लूटना डाका डालना कहते हैं और ठगाई से होने वाली चोरी व्यापारादिक कार्यों में व्याप्त होने से साहूकारी में गिनी जाती है। जैसे पांच रुपये की वस्तु का मोल दस रुपये कहना और उसको बिल्कुल ठीक बता कर बिचारे भोले मनुष्यों को ठग कर द्रव्य पैदा करना यह भी एक प्रकार की चोरी है इसी तरह हिसाब में भुलाकर झूठा खतनामा लिख कर अधिक लेना, किसी की सरहद दबाना घूंस (रिश्वत) लेना आदि को भी चोरी ही समझना चाहिए।

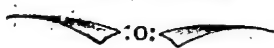
२ यद्यपि इस तृतीयव्रत में व्यापार सम्बन्धी चोरी के सब नियम नहीं आये हैं, तथापि गुणाभिलाषी मानवों को विश्वासघात छल-कपट नहीं करना चाहिये। धर्म भगवान आदि की सौगन्ध नहीं खाना चाहिये। छोटे बड़े सब के प्रति एक भाव रखना चाहिये यदि अधिक ही लेना हो साफ कह कर लेना चाहिये।

३ व्यापार में सचाई और प्रामाणिकता रखनी चाहिये, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा होती है और लाभ भी अधिक होता है इस लिये धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिये सदा सत्य और प्रामाणिकता का व्यवहार करना चाहिये। असत्यता और अप्रमाणिकता से एक बार कदाचित् लाभ हो सकता है, किन्तु पश्चात् मालुम हो जाने पर धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं।

४ आढ़त या दलाली के धन्धे में दूसरे ने विश्वासपात्र समझ कर जो वस्तु सौंपी हो या आर्डर दिया हो उसमें दलाली या आढ़त के सिवा अधिक लालच करना विश्वासघात है इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।



चौथा स्थूल मैथुन त्याग–ब्रह्मचर्य व्रत



द्रव्य से—मैं पंचों की साक्षी पूर्वक विवाहिता स्वस्त्री (स्वपति) के साथ एक मास में (   ) दिन के सिवा मैथुन सेवन नहीं करूंगा। देव देवी सम्बन्धी मैथुन सेवन का दो करण तीन योग से त्याग करता हूं, अर्थात मन वचन काय से न करूंगा और न करवाऊंगा तथा मनुष्य मनुष्यनी तिर्यंच तिर्यंचनी सम्बन्धी मैथुन सेवन का एक करण एक योग से त्याग करता हूं, अर्थात काय से मैथुन सेवन नहीं करूंगा।

क्षेत्र से—मर्यादित क्षेत्र में स्वदारसंतोष व्रत रक्खूंगा, अर्थात अपनी पाणिगृहीता स्त्री के सिवा सब स्त्री का त्याग करता हूँ, तथा मर्यादा के बाहर सब प्रकार के मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

काल से—जीवनपर्यन्त मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

भाव से—उपर्युक्त करण और योग से मैथुनसेवन का त्याग करता हूँ।



नियम



१ मैं इतने(   ) वर्ष तक जब तक विद्या पढ़ता हूं पूरा ब्रह्मचर्य पालूंगा, अर्थात् किसी प्रकार अपने वीर्य को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विद्या का लाभ ब्रह्मचारी को सहज में होता है।

जाती है, अतः दूसरी बार भोग करने से अधिक पंचेन्द्रिय जीवों की हिंसा का दोष लगता है।

३ अपनी सन्तान का विवाह बाल्यावस्था में नहीं करना चाहिये।

४ अश्लील गाली और असभ्य वचन नहीं बोलना चाहिये।

५ विशेष कारण बिना अविश्वासी पुरुष के घर नहीं जाना चाहिये।

६ व्यभिचारी और विषयलोलुपी पुरुष की संगति नहीं करनी चाहिये।

७ विकारदृष्टि से स्त्री को परपुरुष के और पुरुष को परस्त्री के अंगोपांग तक नहीं देखना चाहिये।

८ परपुरुष या परस्त्री के साथ विशेष कारण बिना एकान्त में नहीं रहना चाहिए।

९ बिना काम रात्रि में या असमय में जहां तहां नहीं भटकना चाहिये।

१० पुरुष को स्त्री समूह में और स्त्रियों को पुरुष समूह में विशेष कारण बिना नहीं बैठना चाहिए।

११ पुरुष को परस्त्री के बिछौने पर और स्त्री को परपुरुष के बिछौने पर नहीं बैठना चाहिए।

१२ जहां स्त्री पुरुष का संघर्षण (शरीर स्पर्श) होता हो ऐसे मेलों में नहीं जाना चाहिए।

१३ विषयलालसा को बढ़ाने वाले नाटक आदि नहीं देखना चाहिये।

१४ शृंगार रस के गायन नहीं गाने चाहिये।

१५ विषय वृत्ति पर अङ्कुश न रह सके ऐसी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए।

१६ विकार को उत्पन्न करने वाले वस्त्र आभूषण नहीं पहनने चाहिए।

१७ कामविकार उत्पन्न करने वाले स्त्री आदि के चित्र अपने मकान में नहीं रखने चाहिए।

१८ स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए।

१९ शीलव्रत के नियम वाले को अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या आदि दिनों में अपनी सोने की शय्या दूर रखनी चाहिये, और स्त्री का स्पर्श नहीं होने देना चाहिये क्योंकि निमित्त मिलने पर व्रत भंग का पूरा भय रहता है, तथा नियम वाले दिनों में इन्द्रिय बलकारी भोजन नहीं करना चाहिये।

२० एक बार मैथुन सेवन करने से एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के सिवा कभी कभी नौलाख संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्यों का भी घात हो जाता है, जैसे अग्नि में तपाई हुई लोहे की सलाई बांस की नली में डालने से नली में पड़े हुए सब तिल जल जाते हैं वैसे ही संयोग करते समय योनि में जितने जीव होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं।





द्रव्य से — सब प्रकार के द्रव्यों की निम्न प्रकार से मर्यादा करता हूं।

क्षेत्र से — अमुक क्षेत्र के द्रव्यों की निम्न प्रकार से मर्यादा करता हूं।

काल से — इन्हीं की निम्न प्रकार से काल सम्बन्धी मर्यादा करता हूं।

भाव से — एक करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काय से निम्न प्रकार द्रव्यों की मर्यादा करता हूं।

क्षेत्र से — मर्यादित क्षेत्र में निम्नोक्त परिग्रह के सिवा सब का त्याग करता हूं और मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में सब परिग्रह का त्याग करता हूं। खुली जमीन खेत बाग बगीचे कुए बावड़ी आदि यदि रखना पड़े तो बीघा ( ) तक, अथवा गिरवी रखना पड़े तो बीघा ( )तक की मर्यादा करता हूं और शेष का जीवन पर्यन्त त्याग करता हूं।

वास्तु वत्थु—ढकी जमीन घर दूकान वाड़ा मिल कारखाने गोदाम आदि के मकान नग ( ) की मर्यादा करता हूँ और इससे अधिक का जीवन-पर्यन्त त्याग करता हूं।

हिरण्य— घड़ी हुई या बिना घड़ी हुई चांदी घर खर्च के लिए जीवन पर्यन्त तक वजन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति वजन) इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

सुवर्ण— घड़ा हुआ या बिना घड़ा हुआ सोना जन्म पर्यन्त घर खर्च के लिए वजन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति वजन ( ) इससे अधिक का त्याग करता हूं।

धन— मोहर गिनी रुपये पैसे आदि सिक्के तथा हीरा मोती माणिक आदि जवाहिरात घर खर्च के लिए रू० ( ) का जीवन पर्यन्त तक तथा व्यापार निमित्त एक वर्ष तक रू० ( ) का. इससे अधिक का त्याग करता हूं।

धान्य— सब २४ प्रकार का धान्य घरखर्च के लिए एक वर्ष में मन ( ) और व्यापार निमित्त एक वर्ष में मन ( ) और बाकी सब का त्याग करता हूं।

द्विपद— नौकर चाकर (दास दासी) एक वर्ष में नग ( ) तक की मर्यादा करता हूँ इससे अधिक का त्याग करता हूँ।

चतुष्पद— गाय ( ) भैंस ( ) घोड़ा ( ) ऊंट ( ) बैल ( ) बकरी ( ) भेड़ ( ) हाथी ( ) का जीवन का पर्यन्त तक के लिए

परिमाण करता हूं, इससे ज्यादा त्याग करता हूं।

कुप्प (कुविय)—कांसा पीतल ताँबा लोहा आदि धातु जीवन पर्यन्त घर खर्च के लिये रु ( ) तक और व्यापार निमित्त एक वर्ष में रु० ( ) तक की मर्यादा करता हूं।

मेज कुर्सी सन्दूक आदि नये खरीदने पड़े तो रु० ( ) तक।

रुई सूत ऊन कपास कपासिया (बिनौला) का व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक

गाड़ी मोटर बग्गी तांगा आदि वाहन (सवारी) का रखना पड़े तो नग ( ) तक

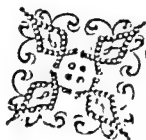
कपड़े तथा कुट्टे के व्यापार करने निमित्त रु० ( ) तक

जीन मिल प्रेस आदि कारखाने रखने पड़े तो नग ( ) तक.

किराना आदि का व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक

मनिहारी सामान, कांच आदि का व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक.

परचूनी व्यापार करना पड़े तो रु० ( ) तक का परिमाण करता हूं, इसके उपरांत सब का त्याग करता हूं।



नियम.

१ मैं एक महीने से अधिक ऐसा अनाज नहीं रक्खूंगा जिसमें घुना लग सके।

२ मैं इंजन से चलने वाले मिल आदि कारखाने नहीं रक्खूंगा क्योंकि इनमें असंख्य जीवों का घात होता है, जिससे घोर पाप का बन्ध होता है।



आगार

मैंने जो उक्त मर्यादा की है, इसके सिवा बखशीश की चीज तथा मांगती हुई चीज के बदले कोई चीज आजाय और वह बिके नहीं तब तक रखना पड़े, दयादृष्टि से किसी द्विपद चतुष्पद को रखना पड़े, किसी सगे सम्बन्धी की जायदाद की व्यवस्था करनी पड़े, किसी का ट्रस्टी होना पड़े, पंचायत के द्रव्यादि की व्यवस्था करनी पड़े, किसी निराधार की रक्षा करनी पड़े, कम्पनी में भाग रखना पड़े, किसी मिल आदि के शेअर खरीदने पड़े किसी योग्य व्यापार की दलाली करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े आजीविका का दूसरा साधन न मिलने पर योग्य व्यापार करना पड़े तो मेरे आगार है चतुष्पद आदि का परिवार बढ़े तो उसको रखने का मेरे आगार है।

—:०:—

[illegible]

1 [illegible]
[illegible]

2 [illegible]
[illegible]

3 [illegible]
[illegible]
[illegible]

4 [illegible]
[illegible]

5 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

नोट— [illegible]
[illegible] हैं

शिक्षा

१ इच्छा बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है, ज्यों ज्यों इच्छा बढ़ती है त्यों त्यों असन्तोष और अशान्ति भी बढ़ती है, इस वास्ते शांतिसुख के लिए इच्छा को घटाना चाहिए।

२ अपने कुटुम्ब के निर्वाह के साथ परमार्थ कार्य में लगा सकने योग्य द्रव्य हो जाने के बाद अधिक असन्तोष नहीं रखना चाहिए, अथवा बढ़ा हुआ द्रव्य परमार्थ कार्य में ही लगाना चाहिये।

३ परमार्थ कार्यों में द्रव्य खर्च करने की इच्छा से अनीति— अन्याय पूर्वक द्रव्य पैदा नहीं करना चाहिए। किन्तु न्याय पूर्वक द्रव्य पैदा करना चाहिए।

४ कन्या बेच कर द्रव्य पैदा करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

५ जाति कुल धर्म और समाज को कलंक लगे और राजा दंड दे सके ऐसे कार्यों करके धन संचय करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

६ अपने ऊपर कुटुम्ब के मनुष्यों का भार हो और निर्वाह योग्य कोई साधनन हो ऐसी दशा में सन्तोष धारण कर या आलसी

[illegible]

[illegible] नहीं करनी चाहिये [illegible] और पूर्वक [illegible] करना चाहिये, क्योंकि [illegible] का [illegible] बना देता है।

७ न्यायपूर्वक कमाये धनों की अपेक्षा अन्यायपूर्वक बड़े धने [illegible] भयंकर तथा अधोगति में पहुंचाने वाले हैं।

८ शक्ति से अधिक व्यय करने वाला जितना हास्यपात्र है उससे अपेक्षा शक्ति होने पर भी परमार्थ में व्यय नहीं करने वाला अधिक हास्यपात्र है। इसलिये शक्ति अनुसार परमार्थ में द्रव्य लगा कर लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिये।

९ दूसरे की सम्पत्ति देख कर मन में ईर्षा नहीं करनी चाहिये।

१० कसाई खटीक आदि क्रूर हिंसक मनुष्यों को धंधे के लिये रुपये उधार नहीं देना चाहिए, अथवा उनके धन्धों को उत्तेजना मिले ऐसा काम नहीं करना चाहिये।

११ धर्म आबरू की रक्षा न हो ऐसे धन्धे व नौकरी नहीं करनी चाहिये।

१२ किसी के उधार लिये हुए द्रव्य को पीछा नहीं देने की इच्छा कभी न रखनी चाहिये।

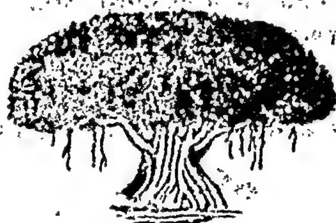
१३ शक्ति से अधिक खर्च नहीं करना चाहिये और न कंजूसी ही करनी चाहिये, लेकिन उत्तम कामों में यथाशक्ति अवश्य सहायता करनी चाहिये।

१४ धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य घर में नहीं रखना चाहिये, किन्तु उसको धर्मार्थ नियत कर देना चाहिये या धर्म कार्य में खर्च कर देना चाहिये। यदि धर्मार्थ निकाले हुए द्रव्य का एक पैसा भी घरखर्च में आजाय तो बड़ी भारी पूंजी को धक्का देता है।

१५ लक्ष्मी चंचल है, इसलिये इसका अभिमान नहीं करना चाहिये किन्तु विनीत और विवेकी बन कर लक्ष्मी का लाभ लेना चाहिये।

१६ इंजन से चलने वाले मिल प्रेस आदि कारखानों से असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है इसलिये- इनका त्याग करना चाहिये इनके शेअर भी नहीं खरीदना चाहिये।

१७ व्यापार अपनी पूँजी और हैसियत से अधिक नहीं करना चाहिये।



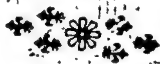
छठा दिशापरिमाण व्रत

द्रव्य से—अपने निवास स्थान से जलमार्ग या स्थल मार्ग द्वारा दिशाओं में जाना पड़े तो उत्तर में (   ) कोश दक्षिण में (   ) कोश पूर्व में (   ) कोश, पश्चिम में (   ) कोश तक तथा पर्वतादि के ऊपर चढ़ना पड़े या हवाई जहाज से ऊंचा जाना पड़े तो (   ) कोश तक और कुए बावड़ी भौंहरा खान आदि में नीचे उतरना पड़े तो (   ) गज तक जा सकूंगा। इससे आगे जाकर पांच आश्रव सेवन करने का त्याग करता हूं।

क्षेत्र से— सम्पूर्ण लोक की दिशाओं की उक्त प्रकार से मर्यादा करता हूं और इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

काल से—जन्मपर्यन्त उक्त प्रकार मर्यादा करता हूँ और शेष का त्याग करता हूँ।

भाव से—एक करण तीन योग से अर्थात मन वचन काया से उक्त प्रकार की गई मर्यादा से अधिक न जाऊँगा।



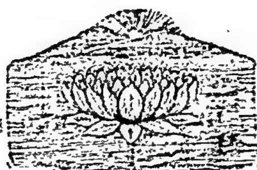
आगार

जो मैंने दिशाओं की मर्यादा की है, इसके बाहर तार या पत्र व्यवहार करना पड़े, माल मँगाना या भेजना पड़े, गुमास्ते या वकील को भेजना पड़े तो मेरे आगार है।

२ राजा आदि की आज्ञा से अथवा आकस्मिक दैवीय घटना से की गई मर्यादा का उल्लंघन हो जाय तो मेरे आगार है।

३ यदि धर्म कार्य निमित्त मर्यादा से बाहर जाना पड़े तो मेरे आगार है।

४ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं की जो हद बांधी है उसके अन्दर की कोई जमीन यदि स्वभाविक ऊँची या नीची हो और वहाँ पर जाना पड़े तो उसका मेरे आगार है।



९ गुलाब मोगरा चम्पा चमेली आदि फूल व सूंघने की तम्बाकू आदि द्रव्य की एक दिन में जाति ( ) तक।
१० पहनने के आभूषण की जाति ( ) कीमत रु०
११ धूप करना पड़े तो वर्ष में जाति ( ) वजन ( ) तक।
१२ पीने की वस्तु दूध रबड़ी चाय शर्बत आदि की जाति ( ) प्रतिदिन वजन ( ) तक।
१३ खाने के लिये मिठाई आदि पदार्थों की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।
१४ चाँवल खिचड़ी थूली आदि रांधन एक दिन में वजन ( ) तक।
१५ अरहर (तुवर) उड़द मूंग मटर चने आदि की दाल की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।
१६ दूध दही घी तेल मीठा इस तरह विगय पाँच प्रकार का है, उसका प्रतिदिन वजन ( ) तक, मक्खन और शहद महाविगय हैं इनका त्याग करता हूँ, औषधि के लिए आगार है।
१७ हरी शाक की जाति ( ) और सूखी शाक की जाति ( ) एक दिन में जाति ( ) वजन ( ) तक।
फल की जाति ( ) एक दिन में जाति ( ) वजन ( ) तक।



हरी शाक फल आदि के नाम.



(जिस वस्तु को रखना हो उस पर पेन्सिल का निशान कर देना चाहिये)

हरी शाक के नाम.

१ ककड़ी
२ करेला
३ भिन्डी
४ तोरई
५ चवले की फली
६ गवार की फली
७ मूंग की फली
८ मटर की फली
९ सेम की फली
१० तुवर की फली
११ मोठ की फली
१२ हरे चने (बूट, छोला)
१३ लौकी (आल, लाउ, घिया)
१४ खरबूजा
१५ काचरा (काचर)
१६ काचरी (छोटा काचर)
१७ तरबूज (कलिंदा, मतीरा)
१८ घिया तरोई (गिलकिया)
१९ मोगरी
२० वालोर की फली
२१ टींडसी
२२ टिंडोरा
२३ करौंदा
२४ खीरा
२५ परवल
२६ भुट्टा (मकई)
२७ हरी मिर्च
२८ आँवला
२९ लिसोड़ा (लहसुन्या)
३० कंटोला
३१ दक्खिनी बटरा की फली
३२ सरगवा की सींग (फली)
३३ हरी जुवार
३४ हरा बाजरा (सिट्टा)
३५ खेजड़े की फली (सांगरी, (खोखा)

[illegible]



वृक्षों के नाम

१ [illegible]
२ [illegible]
३ [illegible]
४ [illegible]
५ [illegible]
६ [illegible]
७ [illegible]
८ [illegible]
९ [illegible]
१० [illegible]
११ [illegible]

हरे फलों का नाम

१ आम
२ खरबूजा
३ मीठा नींबू (मोसंमी)
४ केला
५ अमरूद
६ नारंगी
७ सेब
८ अनार (दाड़िम)
९ अंगूर (द्राक्षा)
१० सीताफल (सरीफा)
११ चकोतरा (पपनूस बिजौरा)
१२ नासपाती
१३ नारियल कच्चा (डाभ)
१४ अनन्नास (अनारस)
१५ कमरख
१६ पौंडा, ईख (सांठा)
१७ पपीता (एरंड ककड़ी)
१८ बेर या बोर
१९ फालसा
२० खिरनी रायण
२१ गोंदा (गुन्दी)
२२ सफरचन्द
२३ जामुन काला
२४ जामुन सफेद
२५ गुलाब जामुन
२६ कमलगट्टा
२७ तरबूज (कलिंदा, मतीरा)
२८ सिंघाड़े (सांघोड़ा)
२९ नींबू छोटे (कागजी नींबू)
३० हरी बादाम
३१ हरी कच्ची खुरमानी
३२ आड़ू
३३ बिही (अमरूद)
३४ लवकठ
३५ बेल फल
३६ राम फल
३७ लीची लीचू
३८ मोरसिरी
३९ सहतूत
४० हरी खारक (खजूर)
४१ हरी सुपारी
४२ हरी इमली
४३ हरी सौंफ
४४ कपित्थ (कैंत-कवीट)
४५ टींबरू (तेंदू)
४६ कसेरू

४७ चेला
४८ पीलू
४९ जाल वृक्ष का फल
(पीलोटिया)
५० सरदा
५१ मलापी नींबू (मदरासी नींबू)

दातौन (दांतन)

१ बंबूल की	दांत
२ नीम की	"
३ बोरड़ी की	"
४ डुकैठी की	"
५ कपास के झाड़ की	"
६ बड़ की	"
७ जामुन की	"

सं०
मिती }

ह० त्यागकर्ता

नोट- जिसको कुछ त्याग व नियम होनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

ऊपर लिखे नामों में से जो मैंने मर्यादा की है इससे अधिक का मैं त्याग करता हूँ।

१८ किसमिस (दाख) बादाम पिश्ता चिरौंजी (चारोली) छुहारे खुरवानी केला पिंडखजूर आदि मीठे फल की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

१९ भोजन एक दिन में वजन ( ) जाति ( ) तक।

२० पीने के लिए पानी एक दिन में वजन ( ) वार-दफे ( ) तक।

२१ तांबूल (पान) इलायची लोंग सुपारी जावित्री जायफल आदि मुख को सुगंधित करने वाली वस्तु की जाति ( ) एक दिन में वजन ( ) तक।

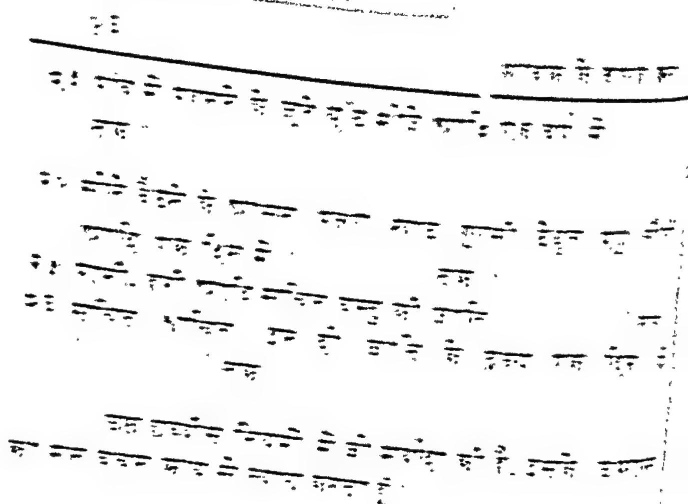
२२ वाहन चार प्रकार के होते है, चरने वाले, फिरने वाले तैरने वाले और उड़ने वाले।

चरने वाले घोड़े ऊंट बैल हाथी आदि सवारी एक दिन में ( ) तक।

फिरने वाले वाहन गाड़ी मोटर लॉरी बग्घी ताँगा साईकल बहेली रथ आदि एक दिन में ( ) तक।

तैरने वाले वाहन नाव स्टीमर जहाज आदि एक दिन में ( ) तक।

उड़ने वाले वाहन हवाई जहाज बेलून आदि एक वर्ष में ( ) तक।





नियम

१ मैं सप्त व्यसन (माँसभक्षण, मद्यपान, शृ नक्रीड़ा-जूआ खेलना, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार और चोरी) का त्याग करता हूँ।

२ मैं हरे शाक के व्यापार तथा अचार मुरब्बा बनाकर व्यापार करने का त्याग करता हूँ।

३ मैं फूल१ को शाक नहीं खाऊंगा, क्योंकि फूल में त्रस जीव रहते हैं।

४ मैं बाजार का अचार नहीं खाऊँगा. और घर का बना हुआ अचार भी अधिक काल का अर्थात दिन (   ) से ज्यादा दिन का नहीं खाऊँगा।

५ मैं कन्द मूल का भक्षण नहीं करूँगा, क्योंकि कन्द मूल में अनन्त जीव होते हैं।

६ लोहार सुनार ठंठारा छीपा नीलगर रंगरेज धोबी आदि का धन्या न करूँगा। यदि इनकी बनाई हुई वस्तुएं वेचनी पड़े तो उसका आगार है।

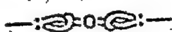
७ लखारा भड़भूंजा चूनीगर भटियारा आदि का काम न करूंगा और करवाऊंगा। घर खर्च के लिये छूट।

८ मैं नाटक सरकस नट और बाजीगर का खेल ख्याल (रम्मत) भांडचेष्टा गायन आदि करके या दूसरों से करा के आजीविका नहीं करूंगा।

१ जैसे गोबी आदि फूल।



आगार



१ अपने या किसी सम्बन्धी के बाल बच्चे आदि का नाक कान बिंधाना पड़े तो आगार है।
२ जो मैंने पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े की मर्यादा की है, इसके उपरांत किसी कपड़े का शरीर से स्पर्श हो जाय तो आगार है।
३ यद्यपि नशे की चीज शौक से न पीऊंगा, तथापि विशेष कारण से यदि पीना पड़े तो आगार है।
४ जो मैंने हरी शाक फल आदि का त्याग किया है, उसमें से भी यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार है।
५ जो मैंने वाहन की मर्यादा की है, उसमें रेलगाड़ी ट्राम्वे पर चढ़ने का आगार है।
६ यदि त्याग की हुई वस्तु या भूल से मिश्रण हो जावे, अन जाने या उपयोग न रहने से वह वस्तु काम में आजावे, लग्न व मृत्यु के समय तथा किसी उत्सव पर या दुष्काल के समय, यदि त्याग की हुई वस्तु का इस्तेमाल करना पड़े तो आगार है।
७ सूखी लकड़ी या सूखे घास का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
८ मिल प्रेस आदि में आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है।
९ जो मैंने जूते की मर्यादा की है, यदि जूता खो जाने पर फिर पहनना पड़े तो आगार है।

अतिचार (दोष)

सातवें व्रत के २० अतिचार हैं। इनमें से आदि के पांच अतिचार भोजन सम्बन्धी हैं और बाकी के १५ अतिचार व्यापार सम्बन्धी हैं।

भोजन के पांच अतिचार.

१ जिस सचित्त वस्तु का त्याग किया है, वह वस्तु पूरी तरह अचित्त न हुई हो तो भी उसका भक्षण करना अथवा मर्यादा से अधिक सचित्त वस्तु का भोग करना।

२ सचित्त वस्तु मिली हुई अचित्त वस्तु का आहार करना।

अधूरे पके हुए पदार्थ का आहार करना।

४ अविधि से पकाये हुए (भुट्टे आदि) का आहार करना।

५. जिस वस्तु में खाने योग्य भाग थोड़ा हो और फेंकने योग्य भाग अधिक हो, ऐसी वस्तु का आहार करना।

ये भोजन के पांच अतिचार हैं इनको त्यागना चाहिये।



पन्द्रह कर्मादान की मर्यादा के अतिचार



१ इंगालकर्म—चूना ईंट कोयला कांच कुम्हार का बर्तन आदि जो भट्टी से पकाया जाता है इसका तथा इंजन से चलने वाले कारखाने का, तथा लोहार सुनार ठठारा (कसारा) हलवाई भड़भूंजा भटियारा रंगरेज धोबी और नियारगर का काम करके आजीविका करने का त्याग। यदि इनकी बनाई हुई वस्तु बेचनी पड़े तो एक वर्ष में रुपिया (   ) की मर्यादा, इससे ज्यादा का त्याग किन्तु घर खर्च के लिए छूट।

२ वनकर्म—वन के हरे वृक्ष तथा घास कटवा के आजीविका निमित्त बेचने का त्याग। यदि सूखी लकड़ी को व्यापार करना पड़े तो एक वर्ष में रु० (   ) का इसके उपरांत का त्याग।

३ साड़ीकर्म—गाडी इक्का बग्घी आदि वाहन बना के तथा नील (गुली) आदि सड़ा कर बेचने का त्याग।

४ भाड़ीकर्म — ऊँट घोड़ा बैल आदि त्रस जीवों के ऊपर भार लाद के भाड़ा कमाने का तथा रथ गाडी बैल इक्का बग्घी हल जहाज बोट डोंगी मोटर लारी साइकल आदि आजीविका के निमित्त भाड़े देने का त्याग। यदि अपने सवारी के लिए घर में रक्खा हो या लेने (पावने) पेटे या गया उसे भाड़े देना पड़े तो बात दूसरी।

५ फोड़ीकर्म—पत्थर कोयला [illegible] आदि की खान, कुआ बावड़ी तालाब आदि खोदन खुदाने का व्यापार करने का त्याग।

६ दंतवाणिज्य—हाथीदांत रेशम कस्तूरी आदि का नये सर से व्यापार करने का त्याग, यदि आगे का हो तो वर्ष एक में ( ) से ज्यादे का त्याग। और सीप, शंख, सींग कौड़ी, बाघ के नख, हिरन चर्मादिक का चर्म का सर्वथा त्याग।

७ लक्खवाणिज्य—लाख पपड़ा मैनसिल साबुन और शोरा नमक आदि खारे पदार्थ का नये सर से व्यापार करने का त्याग, यदि आगे का हो तो वर्ष एक में रु० ( ) से ज्यादा का त्याग।

८ रसवाणिज्य—निकृष्ट रस-मधु (शहद) मद्य चर्बी मक्खन आदि बेचने का त्याग। उत्कृष्ट रस-दूध दही गुड़ शक्कर तेल आदि का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में रु ( ) की मर्यादा और इससे ज्यादे का त्याग।

९ केशवाणिज्य—चमरी, गाय आदि पशुओं के केश तथा पक्षियों के पांख तथा चमड़ा आदि के व्यापार करने का त्याग। यदि ऊन आदि का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में रु० ( ) से ज्यादे का त्याग।

१ इसी वाणिज्य में कन्याविक्रय-पुत्रीविक्रय और पशुविक्रय आदि ग्रहण किये जाते हैं क्योंकि केशवाणिज्य व्यापार का अर्थ ही यह है—केश वाले जीवों का व्यापार करना।

१० विषवाणिज्य–संखिया आदि विषैले पदार्थ का तथा जीव-घातक अस्त्र शस्त्र आदि का व्यापार करने का त्याग। इन में से यदि अफीम का तथा चाकू छुरी आदि छोटे-छोटे शस्त्रों का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में रु० (   ) से ज्यादे का।

११ यंत्रपीड़नकर्म–चरखे मिल प्रेस कोल्हू चक्की घाणी आदि धंधा दोषजनक है, इसलिए नयेसर से इसका व्यापार करने का त्याग, यदि आगे का हो तो नग (   ) रु० (   )

१२ निल्लंछणकर्म–बैल आदि को नपुसंक बनाने का, ऊँट बैल आदि का नाक छेदने का, भेड़ बकरी आदि के कान चीरने का व्यापार निमित्त त्याग।

१३ दवाग्निकर्म–जंगल गांव घर गोदाम आदि में आग लगाने का त्याग।

१४ सरदहतलाव-परिशोषणकर्म--झील तालाव कुण्ड आदि को आजीविका निमित्त सुखाने का त्याग।

१५ असईजण-पोषण--आजीविका तथा शौक के लिए वेश्याओं का, दुश्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना, तथा कुत्ते बिल्ली तीतर बाज आदि हिंसक प्राणियों का शिकार निमित्त पालन पोषण करने का त्याग तथा शौक के लिए रखने का त्याग। दयादृष्टि से यदि पालन करना पड़े तो दूसरी बात है

व्यापार के साथ इन

इन में से किसी का व्यापार करना पड़े तो ऊपर रखी हुई की मर्यादा, इसके उपरान्त का त्याग। यदि आजीविका के लिये नौकरी होने से राजा की आज्ञा से पराधीनता व दुष्काल आदि भारी विपत्ति के कारण कोई काम करना पड़े तो आगार है।

सं०
मिति }

ह० त्यागकर्ता–

शिक्षा



१ रात्रि में या अन्धेरे में भोजन नहीं बनाना चाहिए, और न करना ही चाहिए, क्योंकि रात्रि और अन्धेरे में छोटे-छोटे जन्तु नहीं दिखाई देते हैं, इसलिये उनकी रक्षा होना असंभव है। दिन में सूक्ष्म जन्तु सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर एक जगह स्थिर रहते हैं, और रात्रि में उड़ने लगते हैं, वे भोजन में गिर कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके सिवा किसी

नोट— जिसको उक्त त्याग व हिनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

जहरीले जानवर के गिरने से शरीर को भारी हानि पहुंचती है। इसलिए रात्रि और अन्धेरे में भोजन नहीं बनाना चाहिये, और न करना ही चाहिये। जहाँ तक बन सके रात्रि में जल भी नहीं पीना चाहिये।

२ हलवाई का धन्धा नहीं करना चाहिये, क्योकि इस धन्धे में चींटी चींटे मक्खी मच्छर आदि जीवों का घात होता है।

३ गाड़ी बैल आदि पर अधिक भार नहीं लादना चाहिये और न जंगली पशु पर सवारी करनी चाहिये। तांगा आदि में मर्यादा से अधिक सवारी होने पर नहीं चढ़ना चाहिए।

४ परिमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिये तथा बार बार भोजन नहीं करना चाहिये। अनियमित भोजन करने से शरीर बिगड़ता है, आदत खराब होती है, तथा अजीर्ण आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

५ अधिक समय का अचार मुरब्बा और शर्बत काम में नहीं लाना चाहिये, क्योकि इनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते है।

६ फूल की को शाक कदापि नहीं खाना चाहिये, क्योकि फूल में त्रस जीव रहते है।

७ अज्ञात (अजाना) फल या अज्ञात वस्तु के खाने से कभी कभी बड़ी भारी हानि पहुँचती है। इसलिये अनजानी वस्तु नहीं खानी चाहिये।

८ जहां तक बन सके ऐसी विदेशी दवा नहीं खानी चाहिये, जिसमें मद्य मांस की आशंका हो, तथा जिसमें रुधिर हड्डी का चूर्ण लगता हो ऐसी विदेशी शक्कर आदि भ्रष्ट करने वाली चीजों को नहीं खाना चाहिये।

४. प्रमादाचरित—प्रमाद वश [illegible] आदि का निष्प्रयोजन [illegible] करना।

हिंसादान—जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसे तलवार बन्दूक, कुल्हाड़ी फावड़ा आदि वस्तुएँ दूसरों को देना, या निरर्थक उनका संग्रह करना अर्थ-पाप बन्धन का कारण हिंसादान कहलाता है। इसलिये इससे बचना चाहिए।

पापकर्मोपदेश—निरर्थक पापकर्म (खेती करना मकान बनाने आदि) का उपदेश देना पापकर्मोपदेश है। इस तरह चार प्रकार के अनर्थदण्ड का त्याग करता हूँ।



नियम

१ मैं बिना प्रयोजन जमीन नहीं खोदूंगा, पानी नहीं ढोलूंगा, अग्नि नहीं जलाऊँगा, पंखा आदि से हवा नहीं करूंगा, वनस्पति न छेदूंगा न काटूंगा।

२ मैं जानबूझ कर दूसरों को खोटी सलाह नहीं दूंगा।

३ मैं दूसरों को अन्याय मार्ग पर चलने का उपदेश नहीं दूंगा।

४ मैं विवाह आदि में आतिशबाजी न छोड़ूंगा न छुड़वाऊँगा और न इसकी सम्मत्ति दूंगा।

आगार

१ लोक व्यवहार से किसी का वियोग होने पर रुदन [रोना] आदि आर्त्तध्यान करना पड़े तो इसका मेरे आगार है।

२ मन वस में न रहने से अथवा कोमल स्वभाव होने से बिना द्वेष बुद्धि के यदि आर्त्तरौद्रध्यान हो जाय तो बात अलग है।

३ उपयोग न रहने से तैल घी आदि के वर्त्तन उघाड़े रह जाय तो बात अलग है।

४ चाकू छुरी सरौता बर्तन आदि वस्तुएं किसी स्वजन सगा सम्बन्धी को देनी पड़े तो आगार है।

५ स्वजन के हितार्थ या अनुकम्पा के निमित्त किसी काम का उपदेश या सम्मति देनी पड़े तो इसका मेरे आगार है।

अतिचार (दोष)



१ काम को उत्पन्न करने वाली कथाएं करना, अश्लीलवचन बोलना।
२ दूसरे को हंसाने के लिए भांडों की तरह हंसी मजाक करना, किसी की नकल करना।
३ ढीठता से निरर्थक बोलना।
४ पूरी तरह काम देने वाले ऊखल मूसल तलवार आदि हथियार या औजार बनाना।
५ उपभोग या परिभोग में आने वाली खाने पीने पहनने आदि की वस्तुओं का अधिक संग्रह करना।
ये अनर्थ दण्ड के पांच अतिचार हैं, इनको त्यागना चाहिये।

सं०
मिति }

ह० त्यागकर्त्ता—

...ह—जिसको उक्त त्याग व नियम में हीनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

शिक्षा



अवकाश के समय इधर उधर की गप शप नहीं करना चाहिये। किस्से आत्मा के भावों को बिगाड़ने वाली शृङ्गार रस की, कहानियों की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए और न सुननी चाहिए ताश चौपड़ शतरंज आदि नहीं खेलना चाहिए। पतङ्ग उड़ाने का व्यसन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दुर्लभ चिन्तामणि रत्न के समान पुण्योदय से प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को ऐसे निरर्थक कामों में बिताना भारी मूर्खता है, किन्तु फुर्सत के समय विद्वान् पुरुषों की बड़ों की संगति करनी चाहिए, समाज धर्म और देश की उन्नति के उत्तम २ काम करने चाहिए, चारित्र को निर्मल बनाने वाली आदर्श पुस्तकें पढ़नी या सुननी चाहिये या अन्य धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिये।

१ जब मनुष्य निठल्ला होता है, तब उसके मन-मानसरोवर में अनेक प्रकार के बुरे विचार रूप तरंगें उठा करती हैं जिस से उसका अधःपतन होता है, इसलिये आत्मा के शुभचिन्तकों को चाहिये कि इन दुर्विचारों को रोकने के लिये बेकार नहीं रहना चाहिये, किन्तु आत्मा को उन्नत बनाने वाले काम करते रहना चाहिये।

२ होली या विवाहादि के समय कई स्त्री पुरुष निर्लज्ज गीत गालियाँ गाते हैं, तथा भण्ड वचन बोलते हैं, ये काम मनुष्य जीवन को बिगाड़ने वाले हैं, इसलिये उत्तम मनुष्यों को चाहिये कि ऐसे कामों से दूर रहें और ऐसे पुरुषों की संगति भी न करें।

अग्नि की मर्यादा



१ चालू रसोई करनी या करवानी पड़े तो एक दिन में चूल्हे नग ( ) इनके अलावा जाति या संघ का जीमन या दूसरे रसोई में अधिक आरंभ करना पड़े तो उसका मेरे आगार है।

२ दीपक छत्री आदि करनी या करवानी पड़े तो एक दिन में नग ( ) दीवाली के मौके पर नग ( ) इसके उपरांत उत्सव या राजा के हुक्म से रोशनी करनी पड़े तो उसका मेरे आगार है।

३ शौक से या विवाहादि उत्सव पर आतिशबाजी तथा बारूद आदि के फटाके वगैरह नहीं छोड़ने चाहिये क्योंकि इनसे त्रस जीवों का भी घात होता है। यदि बाल बच्चों के निमित्त या दीवाली के रिवाज के अनुसार कदाचि छोड़ने या छुड़वाने पड़े तो उसका मेरे आगार है।

४ बीमार सौर (सुवाड़) या ठंड के कारण सिगड़ी आदि जलानी पड़े तो एक दिन में नग ( )।

५ किसी कारण से धूनी आदि करनी पड़े तो एक दिन में नग ( )।

६ धूप करना पड़े तो एक दिन में ( ) रुपये भर।

---

* जलते हुए दीपक में तेल डालना या उसकी बत्ती बढ़ानी पड़े तो वह एक ही दीपक गिना जाता है।

मोमबत्ती या अगरबत्ती आदि लगानी पड़े तो एक दिन में नग ( )।

दियासलाई की पेटी काम लानी पड़े तो एक दिन में पेटी नग ( )।

आगार

अग्नि को एक जगह से दूसरी जगह डालते, अग्नि लगने पर या और किसी अवसर पर अग्नि बुझाते, किसी मामले पर बन्दूक आदि चलाते, कारणवश से पेट आदि पर दाग आदि देते, लोहार आदि के यहां काम करवाते अग्नि की हिंसा होती है उसका मेरे आगार है।

वायु की मर्यादा

जिन उपकरणों से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, उनको काम में लाना पड़े तो उसकी मर्यादा—

झूले की पालखी एक दिन में नग ( ) छोटे बड़े पंखे नग ( ) ऊखल मुसल नग ( ), चरखे नग ( ) फालके नग ( ), सूप नग ( ), बुहारा-बुहारीनग ( ) हमामदस्ते नग ( ) पलने मचली नग ( ) खरल, सिल, ओरसिया, चकला बेलन नग( ) हारमोनियम, पियानो, फोनोग्राफ, सारँगी तबला, आदि वादित्र नग ( ), इनके उपरान्त का नियम। इतनी चीजों का मान एक दिन का समझना चाहिए।

आगार (छूट)

१ [illegible] के कारण [illegible], [illegible] के [illegible], [illegible] के [illegible] शरीर पर [illegible], [illegible], किसी पानी को एक स्थान से दूसरे का [illegible] करना पड़े [illegible] शरीर सम्बन्धी क्रियाओं को [illegible] तो [illegible] आगार है।

वनस्पति की मर्यादा

१ अपने ढोरों के लिए हरे घास के भारे लेने या लिवाने पड़े तो एक दिन में नग (   )।

२ हरा घास लेना पड़े तो एक साल में गाड़ी नग (   )

३ खेत, बाड़ा वगैरह में काटना सीखना पड़े तो एक दिन में बीघा (   )।

४ शाक सुधारने के लिए, अचार वगैरह के लिए वनस्पति लेनी या लिवानी पड़े या छेदनी छिदानी पड़े तो एक दिन में मन (   )। इसमें जाति-जीमन, विवाह आदि की रसोई वगैरह का आगार।

५ अचार डालना पड़े तो एक साल में मन (   )।

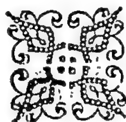
६ शाक आदि सुखानी पड़े तो एक साल में मन (   )।

७ अपनी वाड़ी आदि का शाक फल वगैरह तोड़ने तुड़वाने पड़े तो एक दिन में मन। (   )

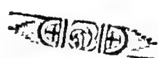
८ पीसना पीसाना दलना दलवाना पड़े तो एक दिन में मन ( )।
९ भिगोना-भिगवाना पड़े तो एक दिन में मन ( )।
१० सूप आदि से झटकना झटकवाना पड़े तो एक दिन में मन ( )।
११ नाज आदि उफनना उफनाना पड़े तो एक दिन में मन ( )।
१२ श्रीफल आदि तोड़ना तुड़ाना पड़े तो एक दिन में नग ( )।
१३ सुपारी तोड़नी तुड़ानी पड़े एक दिन में सेर ( )।
१४ सचित्त जीरा आदि काम में लाना पड़े तो एक दिन में सेर ( )।
१५ अपने खेत या वाड़ी का नाज वगैरह काटना कटवाना पड़े तो एक वरस में मन ( )।

आगार

१ पृथ्वी, पानी, अग्नि का आरम्भ करते हिलते चलते मिहनत मजूरी करते, वस्तु को उठाते रखते, दुष्कालादि में शरीर का निर्वाह करते, सम्बन्धी आदि के कारण वनस्पति की हिंसा करनी पड़े तो मेरे आगार है।



देशविरति के बारह व्रत निश्चय और व्यवहार से क्रमशः दिखलाते हैं—



१ प्राणातिपात-विरमण व्रत ।

दूसरे जीव को अपने समान जानकर उसकी रक्षा करनी, उसे दुःख न देना—मारना नहीं, यह व्यवहार से प्राणातिपात-विरमण, अर्थात् अहिंसाव्रत है। अपनी आत्मा कर्म के वश होकर दुःखी हो रही है, ऐसा जानकर उसे कर्मबन्धन से छुड़ाना, आत्म-गुणों (ज्ञान दर्शनादि भावप्राणों) की रक्षा करना और उनकी वृद्धि करना, यह निश्चय से प्राणातिपात विरमण व्रत कहा जाता है।

२ मृषावाद-विरमणव्रत ।

असत्य-झूठ वचन न बोलना, यह व्यवहार से मृषावाद-विरमण व्रत है। किसी भी पोद्गलिक चीज को अपनी कहना, जीव को अजीव या अजीव को जीव करना सिधान्तो का झूठ और निरपेक्ष या एकान्त अर्थ कहना, यह सब निश्चय-मृषावाद है, इन सब के त्याग को निश्चयमृषावाद-विरमण व्रत कहते हैं। अदत्तादान आदिक व्रतों को तोड़ने से केवल चरित्र का ही भँग होता है, परन्तु इस व्रत का खण्डन करने से तो सम्यक्त्व ज्ञान और चरित्र इन तीनों का नाश होता है। इसी से सिद्धांत में कहा गया है कि जो साधु चतुर्थव्रत का खण्डन करता है, वह प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो सकता है; लेकिन जो साधु सिद्धांत-

सूत्रों के अर्थ का मृषा उपदेश देकर इस व्रत को तोड़ता है, उसकी शुद्धि आलोचना-प्रायश्चित से भी नहीं हो सकती। कारण यह कि जो अन्य व्रतों का खण्डन करता है, वह केवल अपनी ही आत्मा को मलिन करता है किन्तु जो सिद्धान्तों का मृषा-उपदेश देता है, वह दूसरे जीवों की आत्मा को भी मलीन करता है। इसलिये भव्य प्राणियों को उचित है कि वे ऐसे मिथ्योपदेश देने वाले, जो इस दुषम काल में दुःखगर्भित या मोहगर्भित वैराग्य को प्राप्त कर तृष्णा-नदी में बहते हुए नजर आते हैं उनके सङ्ग से अपने को बचावे।



३ अदत्तादान-विरमण व्रत

परकीय चीज को उसके मालिक की बिना आज्ञा बिना, अर्थात् चोरी, धूर्तता, बदमाशी या चालाकी से दूसरे की चीज का ग्रहण करना अदत्तादान है और उससे त्याग को व्यवहार से अदत्तादानविरमण व्रत कहते हैं। निश्चय से अदत्तादान विरमण व्रत यह होता है कि पांचों इन्द्रियों के तेईस विषय, आठ कर्मों की वर्गणा आदि पर (आत्म-भिन्न) वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा तक न करना। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि इंद्रियों को और कर्मों को ग्रहण करने की इच्छा करता ही कौन है? इसका उत्तर यह है कि जो पुरुष वीतराग प्रभु के वचनों को ठीक ठीक नहीं समझता और पुण्य के हेतु-भूत शुभ क्रियाऐं करता रहता है आत्मस्वरूप को बिना जाने पुण्य की इच्छा प्रायः

बहुत लोगों को हुआ करती है वे पुण्य धर्म में जिसके ४२ भेद हैं शीघ्र प्रवृत्ति भी करते हैं, यह पुण्य की इच्छा करना अर्थात् बाह्यभावों को आत्मीय समझ कर ग्रहण करना या अपना कर्त्तव्य न समझ कर उसके फल की वांछा करना ही निश्चत अदत्तादान है इसके त्याग को अर्थात निष्काम-धर्म को निश्चय से अदत्तादान विरमण व्रत कहते हैं।

४ मैथुन विरमण व्रत।

स्त्री का त्याग करना पुरुष के लिये और पुरुष का त्याग करना स्त्री के लिये मैथुन-विरमण व्रत है। साधु को सर्वथा स्त्री का त्याग होता हैं और गृहस्थ को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री का। इस त्याग को व्यवहार से मैथुन-विरमण व्रत कहते हैं, और विषयों की अभिलाषाओं का—तृष्णा का त्याग करना, निश्चय से मैथुन-विरमण व्रत कहलाता है। आत्मा स्वगुण ज्ञान आदिक का भोगी है, न कि परवस्तु-पौद्गलिक वर्णादिक का पुद्गल-स्कंध अनंत जीवों की जूठन है, ऐसे निश्चय-ज्ञान से अन्तर लोलुपता का त्याग न कर केवल बाह्य विषयों का त्याग करने पर भी मैथुन-कर्म लगते हैं।

५ परिग्रहपरिमाण व्रत।

धन, धान्य दास, दासी, चतुष्पद पशु घर, जमीन, वस्त्र

और आभरण के संग्रह को परिग्रह कहते हैं। साधु के लिये इन सब चीजों का सर्वथा त्याग होता है और गृहस्थों को इन चीजों का इच्छा परिमाण होता है, अर्थात जिसको जितनी इच्छा हो उसे ज्यादा का त्याग होता है। इस त्याग को व्यवहार-परिग्रह परिमाण व्रत कहते हैं, राग द्वेष अज्ञान, ज्ञानावरणीय आदि आठों कर्म, शरीर इन्द्रिय आदि आत्मा-भिन्न वस्तु को पराई जानकर छोड़ना अर्थात परवस्तु में मूर्च्छा-ममता का त्याग करना यह निश्चयपरिग्रह परिमाण व्रत है।

६ दिशा–परिमाण व्रत।

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधः (नीचे) की दिशाओं में गमन-आगमन के लिये अमुक हद बांधकर बाकी का त्याग करना। जैसे कि पूर्व दिशा में सौ कोश तक में गमन आगमन करूँगा, इससे आगे नहीं इसको व्यवहार दिशा परिणाम व्रत कहते हैं। चारों गति में भ्रमण करना यह कर्मों का फल है, सुगति और दुर्गति में पहुँचाने वाले शुभाशुभ कर्म हैं, ऐसा जान कर उदासीन रहना और सिद्ध-अवस्था की उपादेयता स्वीकार करना निश्चय दिशा परिमाण व्रत कहलाता है।

७ भोग-उपभोग–परिमाण।

भोजन आदि जो एक ही बार भोगने में आते हैं, उनको भोग और वस्त्र वगैरह जो अनेक बार भोग में आते हैं, उन्हें उपभोग

कहते हैं उनका परिमाण करना, अर्थात् इच्छा के अनुसार छूट रखकर बाकी का त्याग करना यह व्यवहार से भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। यद्यपि व्यवहार से कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता जीव है तथापि निश्चय से कर्त्ता और भोक्ता कर्म ही है परन्तु आत्मा अज्ञानवश अनादि से पराभावों का भोगी होता हुआ पर वस्तुओं का ग्राहक और रक्षक भी हुआ, अर्थात् आत्मा की ज्ञायकता, ग्राहकता भोजकता और रक्षकता बिगड़ने से उनकी कर्तृता भी बिगड़ी। यही कारण है कि वह पर-भाव रङ्गी होता हुआ आठों कर्मों का भी कर्त्ता हुआ है किन्तु वास्तव में वह अपने स्वभाव का ही कर्त्ता है परन्तु कारणों के आवृत होने से वह स्व कार्य नहीं कर सकता है और विभावों को करता है, अज्ञानी जीव को उपयोग मिला है, परन्तु अशुद्ध उपयोग है, इसलिये वह भिन्न है। आत्मा ही जिन गुणों का अर्थात बाह्यरूप भावों का जिसमें भोगोपभोग न हो कर्त्ता और भोक्ता है स्वरूप-अनुरागी परिणाम को निश्चय से भोगोपभोग-परिणाम व्रत कहते हैं।

८ अनर्थदण्ड–विरमण व्रत।

विना ही प्रयोजन के अपने को पाप- र्यों में लगाना-हिंसादि अनर्थदण्ड है जैसे कोई आदमी हाथ में छड़ी लेकर सैर करने को बगीचे में जाता है, चलते चलते अपनी लकड़ी को घुमाता हुआ वृक्ष के पत्तों को विना ही प्रयोजन तोड़ता है, जिससे पत्तों को

तो दुःख यावत मरण होता है और इससे इस आत्मा का कुछ भी भी काम नहीं निकलता। ऐसे व्यर्थ पापों को छोड़ना, व्यवहार अनर्थदण्ड-विरमण व्रत है। जीव मिथ्यात्व, अविरति कषाय, योग आदि से शुभाशुभ कर्मों को बँध करता है कि सुख दुःख कारण करता है जो कि सुख दुःख कारण होता है उन कर्मों के कारणों से अपने को बचाना अर्थात उन कर्मों के कारणों का अपने पर असर न होने देना ही निश्चय से अनर्थदण्ड विरमण व्रत है।

९ सामायिक व्रत

मन वचन और काय के आरम्भों को छोड़ कर एकांत में नियमानुसार बैठना या पुस्तकादि पढ़ना अथवा जप करना व्यवहार सामायिक है। अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र गुण की विचारणा करना और सर्व जीवों की सत्ता एक समान जान कर सर्व जीवो के साथ समभाव रखना, निश्चय सामायिक व्रत है।

१० देशावकाशिक व्रत

मन, वचन और काय के योगों को दूर कर एक स्थान में बैठ कर धर्म ध्यान करना व्यवहार देशावकाशिक व्रत है। [illegible] से छहों द्रव्यों को जान कर, पांच द्रव्यों को छोड़ [illegible] का ही ध्यान करना निश्चय-देशावकाशिक व्रत है।

११ पौषध व्रत

चार या आठ प्रहर तक सब सावद्य कर्मों का त्याग कर

समता परिणाम से स्वाध्याय में प्रवृति करना, व्यवहार पौषध और अपने आत्मा को ज्ञान-ध्यान में पुष्ट करना, निश्चय पौषध व्रत कहलाता है।

२ १अतिथिसंविभाग व्रत।

पौषध के पारने के (समाप्ति के) समय या सर्वदा साधु को या साधार्मिक भाई को यथाशक्ति भोजनादि दान देना व्यवहार से अतिथिसंविभाग व्रत है स्वजीव को, शिष्य को या गृहस्थ को ज्ञान देना पढ़ाना सिद्धान्तों का श्रवण करना और कराना निश्चय से अतिथिसँविभाग व्रत है।

ये बारह व्रत कहे गये। जो जीव इन व्रत को सम्यकत्व के साथ निश्चय और व्यवहार से धारण करे उस जीव को पंचम गुण स्थान का अधिकारी या देशविरति श्रावक कहते हैं देश अर्थात अंश से विरति त्याग देश-विरति का अर्थ है। सब प्रकार के त्याग को सर्व-विरति कहते हैं। यह सर्व विरति साधु को होती है साधु के पाँच महाव्रत में इन बारह व्रतों का समावेश हो जाता है। व्यवहार और निश्चिय से पूर्वोक्त व्रतों का पालन करना और ज्ञान ध्यान संवर तथा निर्जरा में आत्म परिणाम को स्थिर करना ही निश्चित-चारित्र है।

॥ श्री श्रावक के व्रत समाप्त ॥



तो दुःख यावत मरण होता है और इससे उस आदमी का कुछ भी काम नहीं निकलता। ऐसे व्यर्थ पापों को छोड़ना, व्यवहार अनर्थदण्ड-विरमण व्रत है। जीव मिथ्यात्व, अविरति कषाय, योग आदि से शुभाशुभ कर्मों को बँध करता है कि सुख दुःख कारण करता है जो कि सुख दुःख कारण होता हैं उन कर्मों के कारणों से अपने को बचाना अर्थात उन कर्मों के कारणों का अपने पर असर न होने देना ही निश्चय से अनर्थदण्ड विरमण व्रत है।

९ सामायिक व्रत

मन वचन और काय के आरम्भों को छोड़ कर एकांत में नियमानुसार बैठना या पुस्तकादि पढ़ना अथवा जप करना व्यवहार सामायिक है। अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र गुण की विचारणा करना और सर्व जीवों की सत्ता एक समान जान कर सर्व जीवों के साथ समभाव रखना, निश्चय सामायिक व्रत है।

१० देशावकाशिक व्रय

मन. वचन और काय के योगों को दूर कर एक स्थान में बैठ कर धर्म ध्यान करना व्यवहार देशावकाशिक व्रत है। श्रुतज्ञान से छहों द्रव्यों को जान कर, पांच द्रव्यों को छोड़ ज्ञानवंत जीव का ही ध्यान करना निश्चय-देशावकाशिक व्रत है।

११ पौषध व्रत

चार या आठ प्रहर तक सब सावद्य कर्मों का त्याग कर

[illegible] और अपने आत्मा को ज्ञान-ध्यान में पुष्ट करना, निश्चय पौषध व्रत कहलाता है।

१२ अतिथिसंविभाग व्रत।

पौषध के पारणे के (समाप्ति के) साधु या साध्वी [illegible] को या साधार्मिक भाई को यथाशक्ति भोजनादि दान देना व्यवहार से अतिथिसंविभाग व्रत है। स्वजीव को, शिष्य को या गृहस्थ को ज्ञान देना पढ़ाना सिद्धान्तों का श्रवण करना और कराना निश्चय से अतिथिसंविभाग व्रत है।

ये बारह व्रत कहे गये। जो जीव इन व्रत को सम्यक्त्व के साथ निश्चय और व्यवहार से धारणा करे उस जीव को पंचम गुण स्थान का अधिकारी या देशविरति श्रावक कहते हैं देश अर्थात अंश से विरति त्याग देश-विरति का अर्थ है। सब प्रकार के त्याग को सर्व-विरति कहते हैं। यह सर्व विरति साधु को होती है साधु के पाँच महाव्रत में इन बारह व्रतों का समावेश हो जाता है। व्यवहार और निश्चिय से पूर्वोक्त व्रतों का पालन करना और ज्ञान ध्यान संवर तथा निर्जरा में आत्म परिणाम को स्थिर करना ही निश्चित-चारित्र है।

॥ श्री श्रावक के व्रत समाप्त ॥



